राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–107/2009

प्रहलाद लाल जाट **–अपीलार्थी**

बनाम

1. शासन उप सचिव, पंचायत राज (प्रा.शिक्षा) विभाग, जयपुर।
2. वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, निवाई, जिला–टोंक।
3. सचिव, राजस्थान शिक्षाकर्मी बोर्ड, बी–100, युनिवर्सिटी मार्ग, बापू नगर, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 10.08.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमावत, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डप्पा, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी ने इस अपील में राजस्थान शिक्षाकर्मी बोर्ड के आदेश दिनांक 18.12.2008 को चुनौती दी है, जिसमें यह माना गया है कि अपीलार्थी को परियोजना में प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए उन्हें राशि 67298/– रुपये का अधिक वेतन अनियमित भुगतान उठाया है। इस आधार पर अपीलार्थी से वसुली के आदेश पारित किये। उक्त आदेश के पश्चात ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी , निवाई, टोंक द्वारा अपीलार्थी को पत्र जारी कर वसुली किये जाने के आदेश दिये है। अपीलार्थी का मुख्य रूप से यह कथन रहा है कि अपीलार्थी की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के आदेश में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि अपीलार्थी के मुल वेतन में 1500 रुपये जोड़कर अगली वेतन श्रृंखला निर्धारित की गई। इससे पूर्व अपीलार्थी ने प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के आदेशों के अनुसार ही वेतन उठाया है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी ने स्वयं कोई Mis Representation नहीं दिया है न ही उसमें अपीलार्थी की कोई गलती रही है।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी 5000–8000 पर वेतन श्रृंखला प्राप्त करने का अधिकारी था। प्रतिनियुक्ति पर अधिक वेतन प्राप्त नहीं कर सकता था।
3. दोनों पक्षों द्वारा दिये गए तर्कों पर विचार किया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रकरण प्रकरण श्रीमती बसंती माथुर बनाम राजस्थान राज्य RLW 2005(2) Raj. 938 में यह मत व्यक्त किया है कि जहां किसी कार्मिक को लाभ दिया गया हो और उसमें उसका कोई दोष नहीं रहा हो तो वह लाभ वापस लिया जाना उचित नहीं है एवं उसे सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किये जाने से नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन होना माना जा सकता है। ऐसे में वसुली किया जाना उचित नहीं है।

4. इस प्रकरण में अपीलार्थी को जो भुगतान किया है, उसमें अपीलार्थी की कोई गलती नहीं रही हैं और वसुली का आदेश दिये जाने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अपीलार्थी को जो वेतन दिया गया है उसमें अपीलार्थी का कोई दोष नहीं है। अपीलार्थी से वसुली किया जाना विधि–विरूद्ध है।

5. अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है। आलौच्य आदेश दिनांक 18.12.2008 (अनुलग्नक–10) एवं आदेश दिनांक 23.12.2008 (अनुलग्नक–11) को अपास्त किया जाता है। प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को उपरोक्त आदेश के संबंध में कोई वसुली नहीं की जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)